भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 221

सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

अवसंरचना निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज-मुक्त ऋण

221. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज-मुक्त ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के मानदंड क्या हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए इन निधियों का उपयोग करने की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चत करने के लिए राज्यों द्वारा इन ऋणो के उपयोग की निगरानी करती है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): राज्यों को दीर्घकालिक ब्याजमुक्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के परिव्यय से पूंजीगत निवेश 2024-25 के लिए विशेष सहायता हेतु स्कीम की घोषणा केन्द्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। कुल आवंटन में से, 55,000 करोड़ रु. की राशि स्कीम के भाग-। (शर्तरहित) के लिए निर्धारित की गई है। राज्यों को यह राशि 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार केन्द्रीय करों और शुल्कों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है। शेष 95,000 करोड़ रु. की राशि कतिपय नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों तथा क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं जैसे, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास; पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन; औद्योगिक विकास को प्रेरित करने; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने; राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधित सुधारों के लिए प्रोत्साहन; राज्य सरकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों में भूमि से संबंधित सुधारों के लिए प्रोत्साहन; शहरी और ग्रामीण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं सहित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्यों के हिस्से; कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण; केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत ठीक समय पर निधि जारी करने के लिए एसएनए एसपीएआरएएसएच मॉडल को लागू करने हेतु प्रोत्साहन; शहरी आयोजना सुधारों तथा 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय

हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन को शुरू करने के लिए निर्धारित की गई है। व्यय विभाग द्वारा स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को विशेष सहायता (ऋण) निधि जारी किए जाने हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर जारी की जाती है। सुधार आधारित भागों के मामले में, संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। राज्य सरकारों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत परियोजनाओं हेतु जारी की गई निधियों का भी उपयोग करने के लिए कहा गया है।

****